समाहरणालय, मधेपुरा

(जिला शस्त्र शाखा)

-: आदेश :-

मो0 निहालउद्दीन, ग्राम +पो0-रहटा, थाना-उदाकिशुनगंज, जिला- मधेपुरा ने अपने नाम से धारित शस्त्र अनुज्ञप्ति संख्या- 3253 (उदाकिशुनगंज थाना) पर धारित दो नाली बन्दूक संख्या- 4213 B/2 पु0-79 को नवीकरण शुल्क जमा कर कोषागार चलान की छायाप्रति संलग्न करते हुए अनुज्ञप्ति को वर्ष 2014 से 2016 तक नवीकरण करने संबंधी आवेदन पत्र समर्पित किया गया है।

आवेदन पत्र में उल्लेख है कि वे बूढ़ा एवं बीमार रहने के कारण स-समय कोषागार चलान एवं अनुज्ञप्ति अनुमण्डल पदाधिकारी, उदाकिशुनगंज के कार्यालय में प्रस्तुत नहीं कर पाने के कारण उक्त अनुज्ञप्ति का नवीकरण नहीं करा सके है। ऐसी स्थिति में इनके नाम पर धारित शस्त्र अवैध व्यक्तियों के द्वारा प्रयोग किए जाने से इन्कार नहीं किया जा सकता, जो शस्त्र अधिनियम में निहित शर्त्तो के विल्कूल ही विपरीत है।

अतः अनुज्ञप्तिधारी से प्राप्त आवेदन पत्र पर सम्यक विचार करते हुए शस्त्र अधिनियम 1959 की धारा- 17 (3) (1) के अन्तर्गत अनुज्ञप्तिधारी मो0 निहालउद्दीन, ग्राम +पो0-रहटा, थाना-उदाकिशुनगंज, जिला- मधेपुरा के नाम से निर्गत शस्त्र अनुज्ञप्ति संख्या- 3253 (उदाकिशुनगंज थाना) को तत्कालिक प्रभाव से "रद्द" करते हुए उस पर धारित दो नाली बन्दूक संख्या- 4213 B/2 पु0-79 को शस्त्र अधिनियम-1959 की धारा-21 के अन्तर्गत उदाकिशुनगंज थाना के मालखाना/मे0बिहार गन हाउस, मधेपुरा में जमा करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

अनुज्ञप्तिधारी को आदेश दिया जाता है कि वे अनुज्ञप्ति संख्या- 3253 (उदाकिशुनगंज थाना) पर धारित दो नाली बन्दूक संख्या- 4213 B/2 पु0-79 को उदाकिशुनगंज थाना मालखाना या बिहार गन हाउस, मधेपुरा में जमा कर दें एवं थाना से प्राप्ति रसीद प्राप्त कर उसका छायाप्रति एवं मूल अनुज्ञप्ति पुस्त जिला शस्त्र शाखा, मधेपुरा में पत्र प्राप्ति के तीन दिनों के अन्दर समर्पित करना सुनिश्चित करें।

संबंधित थाना अध्यक्ष, उदाकिशुनगंज को निदेश दिया जाता है कि वे तदनुसार कार्रवाई करते हुए अनुपालन प्रतिवेदन भेजना सुनिश्चित करेंगे।

जिला शस्त्र दंडाधिकारी, मधेपुरा को निदेश दिया जाता है कि वे मो0 निहालउद्दीन या उनके द्वारा प्राधिकृत लोगों द्वारा जमा रसीद की छायाप्रति एवं मूल अनुज्ञप्ति पुस्त जमा करने पर कार्यालय में संधारित अनुज्ञप्ति पंजी एवं अनुज्ञप्ति पुस्त में "रद्द" प्रवृष्टि करवा कर हस्ताक्षर कर देंगे।

इसकी सूचना सभी संबंधितों को दी जाय।

ह0/-
जिला दंडाधिकारी,
मधेपुरा।

ज्ञापांक 306 /श0, मधेपुरा, दिनांक 27-09-2014

प्रतिलिपि : जिला दंडाधिकारी, सम्पूर्ण बिहार को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : पुलिस अधीक्षक, मधेपुरा को सूचनार्थ प्रषित।

प्रतिलिपि : अनुमंडल पदाधिकारी, उदाकिशुनगंज/ थानाध्यक्ष, उदाकिशुनगंज/जिला सूचना अधिकारी, मधेपुरा/ मे0बिहार गन हाउस, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : मो0 निहालउद्दीन, ग्राम +पो0-रहटा, थाना-उदाकिशुनगंज, जिला- मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

27/09/14
जिला दंडाधिकारी,
मधेपुरा।